फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

भागीरथ बनाम तहसीलदार पावटा

केस संख्या :– 59/2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/02/2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलान्ट उपस्थित । अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा के द्वारा पारित आदेश 18/10/2021 मु.नं. 32/2021 ब उनवानी सरकार बनाम भागीरथ वगैरह दफा 91(3) एलआर एक्ट के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश की है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा अपील में संक्षेप में वर्णित तथ्य इस अनुसार पेश किये है कि प्रार्थी अपीलकर्त्ता को अधिनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट को नोटिस दिया गया जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट उपस्थित होकर दिनांक 04/10/2021 को जवाब पेश किया तथा आगामी तारीख पेशी 18/10/2021 नियुक्त की गयी दिनांक 18/10/2021 को अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रार्थी अपीलान्ट को सुना गया ना ही प्रस्तुत किया जवाब पर गौर किया तथा ना ही अपीलकर्त्ता को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया गया जो आरबीट्रेटर कानून के मूल भूत सिद्वान्तों के विपरीत मनमानी तरीके से दिनांक 18/10/2021 को निर्णय पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है जबकि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 04/10/2021 का लिखित जवाब में अंकित करते हुये इस प्रकार प्रस्तुत किया था कि आराजी ख.नं. 998 वाके ग्राम भैसलाना तहसील पावटा में कब्जा व निर्माण करने का नोटिस दिया गया है वह कतई गलत है। उक्त ख.नं. में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही कर रखा है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत भैसलाना का प्रमाण–पत्र पेश किया था जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थी अपीलान्ट का निर्माण आबादी क्षेत्र में है, जिसमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त आराजी ख.नं. में कोई अतिक्रमण नहीं है ऐसी सूरत में पटवारी हल्का के बयान अपीलान्ट के समक्ष लिया जाकर जिरह का अवसर दिया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत था, लेकिन अदालत मातहत ने उक्त कानून प्रकिया अपनाये बिना ही आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थी अपीलान्ट ने अपनी मेहनत की कमाई से आबादी क्षेत्र में निर्माण किया है। इस बाबत ग्राम पंचायत से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की है तथा विद्युत कनेक्शन ले रखा है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण–पत्र व विद्युत बिल की प्रति अपील के संलग्न है, लेकिन राजस्व कर्मचारी व पटवारी हल्का व्यक्तिगत रंजिस की वजह से गलत रिपोर्ट पेश की है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय को उक्त गलत रिपोर्ट की विस्तृत	

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

जांच करायी जानी चाहिए थी, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य नजरअन्दाज कर बिना जांच कराये ही उक्त आदेश दिनांक 18/10/ को पारित किया है जो निरस्तनीय है। श्रीमान् अदालत द्वारा किसी अधिकारी से आज भी मौके की जांच करायी जावे तो प्रार्थी अपीलान्ट उक्त आराजी ख.नं. 998 वाके ग्राम भैसलाना में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है ना ही कर रखा है। प्रस्तुत अपील श्रीमान् श्रवणाधिकार में है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलान्ट को दोषी करार देकर पैनल्टी आदि के आदेश पारित किया है जो निरस्त फरमावें तथा अपीलान्ट की अपील मंजूर की जावें।

अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील नोटिस प्राप्त होने पर बाद संलग्न पत्रावली किये गये। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04/10/2021 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख 18/10/2021 नियुक्त की गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18/10/2021 को अपीलान्ट को ना तो सुना गया ना ही पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया गया तथा ना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किया तथा ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया जबकि कानूनी तौर पर अपीलान्ट को सुना जाना व अवसर दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने मूलभूत सिद्वान्तों को नजर अन्दाज कर मनमाने तरिके से आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया जवाब में आराजी ख.नं. 998 वाके ग्राम भैसलाना में कोई अतिक्रमण नहीं करना वर्णित किया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी पेश किया था। अनापत्ति प्रमण–पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया था कि अपीलान्ट का निर्माण आबादी क्षेत्र में है, जिसमें विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। प्रार्थी/अपीलान्ट का निर्माण आबादी क्षेत्र में है। राजस्व कर्मचारी व पटवारी हल्का अपीलान्ट से व्यक्तिगत रंजिस रखते है। इस वजह से पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18/10/2021 को निर्णय पारित किया है जो चलने योग्य नहीं है तथा निरस्तनीय है। मौके की आज भी किसी उच्च अधिकारी से जांच करायी जाये तो प्रार्थी अपीलान्ट का उक्त आराजी ख.नं. 998 वाके ग्राम भैसलाना तहसील पावटा में कोई अतिक्रमण नहीं मिलेगा ना ही कर रखा है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलान्ट के विरूद्व मु.नं. 32/2021 सरकार बनाम भागीरथ वगैरह धारा 91 एलआर एक्ट के तहत् निर्णय दिनांक 18/10/2021 में प्रार्थी को दोषी करार देकर पैनल्टी आदि के आदेश

पारित किये है, को निरस्त फरमाया जावें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण सरकारी भूमि पर अतिकमण से सम्बन्धित है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 एलआर एक्ट 1956 के तहत् कार्यवाही कर गैर सायल को अतिकमित घोषित करते हुये दिनांक 18/10/2021 को निर्णय पारित किया है । पारित निर्णय में बेदखली व पैनल्टी के आदेश पारित हुये है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट का आराजी ख.नं. 998 में किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं है ना ही अतिकमण कर रखा है। प्रार्थी अपीलान्ट का निर्माण आबादी भूमि में है, जिसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है जिसमें मकान व दुकान आबादी क्षेत्र में बने होना अंकित किया है तथा विद्युत कनेक्शन के लिए कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी अपीलान्ट का निर्माण आबादी में है तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उक्त आदेश पारित किये है। प्रार्थी अपीलान्ट को प्रकरण में सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया गया है ना ही पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान लिये गये इस प्रकार आरबीट्रेटर कानून के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत मनमाने तरिके से निर्णय पारित्त किया है जो निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के कथनों से एवं पत्रावली के अवलोकन करने से पटवारी हल्का के बयान उक्त पत्रावली में दर्ज नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया गया है। पटवारी हल्का ने प्रार्थी अपीलान्ट का अतिकमण होना बताया है जबकि वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा आबादी भूमि में निर्माण होना अपनी बहस में जाहिर किया। इस बाबत ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न पेश है तथा विद्युत कनेक्शन लिया जाना अवगत कराया है। ऐसी स्थिति में जब तक अतिकमण बाबत सीमाज्ञान नहीं हो जाता तब तक अपीलान्ट की अपील खारिज नहीं की जा सकती है। उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। इसलिए तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) कर आदेश दिये जाते है कि मौका स्थिति की पूर्ण जांच कर राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुनः सीमाज्ञान करावें। यदि उक्त भूमि का सीमाज्ञान होने पर अपीलान्ट का अतिकमण पाया जाता है तो अपीलान्ट के विरूद्व पुनः नियमानुसार कार्यवाही करें। इसलिए अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) कर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट की मौजूदगी में विवादित खसरा नम्बर का पुनः सीमाज्ञान कर प्रकरण मे उचित निर्णय पारित करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कोटपूतली को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नोट:- आदेश दिनांक 10.3.22 से अवगत तहसीलदार कोटपूतली [illegible] पत्र जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)